818
26/07/19

शोध निदेशालय
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
एम.बी.एस.रोड़ कोटा–324005
फोन नं. 0744.2471037

DIRECTORATE OF RESEARCH
UNIVERSITY OF KOTA, KOTA
MBS Road Kota-324005
Phone No.: 0744-2471037
Email : research@uok.ac.in

No. F: - 6( ) Res. / UOK/2019/ 1117

Dated: 18 / 07 **/2019**

The Principal,
Bhagwati Shikashak Prashikshan Mahavidhyalaya,
Gangapur City, Sawai Madhopur, (Raj.)

विषय : आपके महाविद्यालय में कार्यरत शोध पर्यवेक्षकों को शोध कार्य हेतु अभ्यर्थी आवंटन के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार आपके महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित विषयों के शोध पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में शोध कार्य करने हेतु आवंटित किया जाता है

क्र. सं.	विषय	शोध सुपरवाइजर का नाम	शोधार्थी का नाम	शोधार्थी का मो. नं.
1	Education	Dr. Krishna Kant Sharma	Rashmi Yadav	9413404677
2	Education	Dr. Krishna Kant Sharma	Raj Rani Sharma	9636039590

उपर्युक्त शोध अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश लेकर राजभवन द्वारा जारी गाइड लाइन / यू. जी. सी. रेगुलेशन के अनुसार पीएच.डी. कोर्स वर्क करना है जिसकी अवधि एक सेमेस्टर (छः माह) होगी। उक्त कोर्सवर्क संयुक्त रुप से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर 01 अगस्त, 2019 से आयोजित होना है, इस सम्बंध में संलग्न निर्देशों के बिन्दु संख्या 1 से 6 में उल्लेख किया गया है। महाविद्यालय को पीएच.डी. कोर्सवर्क हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश देना है, जिसकी प्रवेश रिपोर्ट सम्बंधित पर्यवेक्षक एवं प्राचार्य से अग्रेषित करवाकर अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में जमा करानी है, साथ ही विश्वविद्यालय में कोर्सवर्क पंजीयन फॉर्म भी मय शुल्क जमा करवाना है।

कोर्सवर्क पूर्ण हो जाने के पश्चात् शोध हेतु शोध प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रत्येक शोधार्थी द्वारा शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली SRC/DRC बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु निर्धारित प्रारुप तथा शुल्क के साथ शोध रुपरेखा विश्वविद्यालय में जमा करनी है। इस सम्बंध में नियमों की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(डॉ. ओ.पी. ऋषि)
निदेशक (शोध)

No. F: - 6( ) Res. / UOK/2019/ **Dated: / /2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(1) सम्बंधित शोध पर्यवेक्षक डॉ. ....

(2) सम्बंधित शोध अभ्यर्थी को भेजकर लेख है कि वह शोध केन्द्र पर उपस्थित होकर आवंटित शोध पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर प्रवेश की आवश्यक कार्यवाही कर दस दिवस में विश्वविद्यालय को प्रवेश की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अभाव में किया गया चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(डॉ. विपुल शर्मा)
उपकुलसचिव (शोध)

शोध निदेशालय
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
एम.बी.एस.रोड़ कोटा–324005
फोन नं. 0744–2471037
ईमेल : research@uok.ac.in
No. F: - 6( ) Res. / UOK/2023/3499

DIRECTORATE OF RESEARCH
UNIVERSITY OF KOTA, KOTA
MBS Road Kota-324005
Phone No.: 0744-2471037
Email : research@uok.ac.in
Dated: 02 /12 /2023

The Principal,
Bhagwati T.T. College,
Gangapur City (Raj.)

विषय : आपके महाविद्यालय/विभाग में कार्यरत शोध पर्यवेक्षकों को शोध कार्य हेतु अभ्यर्थी आवंटन के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित विषयों के शोध पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में शोध हेतु आवंटित किया जाता है

क्र.सं.	विषय	शोध सुपरवाइजर का नाम	शोधार्थी का नाम	शोधार्थी का मो. नं.
1	Education	Dr. Manoj Kumar Sharma	Om Prakash Meena	9414960230
2	Education	Dr. Manoj Kumar Sharma	Vijay Laxmi Hada	08949610720
3	Education	Dr.Anuj Kumar Sharma	Monu Kumar	7791923444
4	Education	Dr.Anuj Kumar Sharma	Sumit Kumar Dubey	8104617486
5	Education	Dr. Krishna Kant Sharma	Giriraj Prasad Prajapati	8058374154

उपर्युक्त शोध अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/विभाग में प्रवेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2023से पूर्व लेकर राजभवन द्वारा जारी गाइड लाइन/यू. जी. सी. रेगुलेशन के अनुसार पीएच.डी. कोर्स वर्क करना है जिसकी अवधि एक सेमेस्टर (छः माह) होगी। उक्त कोर्सवर्क संयुक्त रुप से महाविद्यालय/विभाग एवं विश्वविद्यालय स्तर पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2023से आयोजित होना है, इस सम्बंध में संलग्न निर्देशों के बिन्दु संख्या 1 से 6 में उल्लेख किया गया है। महाविद्यालय/विभाग को पीएच.डी. कोर्सवर्क हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश देना है, जिसकी प्रवेश रिपोर्ट सम्बंधित पर्यवेक्षक एवं प्राचार्य से अग्रेषित करवाकर अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में नियत तिथि तक जमा करानी है।

कोर्सवर्क पूर्ण हो जाने के पश्चात् शोध हेतु शोध प्रस्ताव तैयार कर प्रत्येक शोधार्थी द्वारा शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली SRC/DRC बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु निर्धारित प्रारुप तथा शुल्क के साथ शोध रुपरेखा विश्वविद्यालय में जमा करनी है। इस सम्बंध में नियमों की प्रति तथा संबंधित सभी प्रारूप (Format/Performa) विश्वविद्यालय की वेबसाइट के Research Portal पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(प्रो. रीना दाधीच)
निदेशक (शोध)

No. F: - 6( ) Res. / UOK/2023/3500-3507 Dated:02/12/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(1) सम्बंधित शोध पर्यवेक्षक डॉ. .....

(2) सम्बंधित शोध अभ्यर्थी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वह शोध केन्द्र पर उपस्थित होकर आवंटित शोध पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर प्रवेश की आवश्यक कार्यवाही कर 15 दिसम्बर, 2023तक विश्वविद्यालय को प्रवेश की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अभाव में शोधार्थी का चयन निरस्त किया जा सकेगा।

(डॉ. विपुल शर्मा)
उपकुलसचिव (शोध)

* प्रवेश देने से पूर्व संस्था प्रधान महाविद्यालय/विभाग में आंवटित शोधार्थी से संबंधित विषय का स्नातकोत्तर विभाग होना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् ही प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जावे। स्नातकोत्तर विभाग नहीं होने की स्थिति में आवंटित शोधार्थी को निवेदन करने पर अन्य शोध केन्द्र पर प्रवेश हेतु सह शोध पर्यवेक्षक आवंटित किया जा सकेगा।

पीएच.डी. पाठ्यक्रम के सम्बंध में आवश्यक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक निर्देश

1. पीएच.. डी. साक्षात्कार 2023 में जिन अभ्यर्थियों को शोध पर्यवेक्षक आवंटित हुये हैं वह अभ्यर्थी उनको आवंटित शोध पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर सम्बन्धित शोध केन्द्र पर प्रवेश लेकर प्रवेश रिपोर्ट शोध पर्यवेक्षक तथा संबंधित शोध केन्द्र के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित करवाकर आवंटन पत्र जारी होने के 10 दिवस में आवश्यक रुप से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगें।

2. पीएच. डी. कोर्सवर्क महाविद्यालय/विभाग तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त रूप से 15 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ होगा। ऐसे शोधार्थी जो सेवारत है, उनको अपने नियोक्ता से शोध कार्य की अनुमति/अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी। 15 दिसम्बर 2023 से शोधार्थी आवंटित शोध केन्द्र में पीएच.डी. कोर्सवर्क प्रारम्भ करेगा। विश्वविद्यालय में आयोजित कोर्स वर्क की कक्षाओं के पंजीयन संबंधी सूचना शोधार्थी को पृथक से दी जायेगी। प्रत्येक शोधार्थी को पीएच.डी. कोर्सवर्क में भाग लेना होगा जिसकी अवधि एक सेमेस्टर होगी। कोर्सवर्क परीक्षण कुल 100 अंकों का होगा जिसमें उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अंक 55% होंगें। कोर्सवर्क का 40% अंक आंतरिक परीक्षण द्वारा तथा शेष 60% अंक सेमेस्टर दौरान परीक्षा से होंगें।

3. 40% आंतरिक परीक्षण शोध पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा जिसमें रिव्यू ऑफ लिट्रेचर/सेमिनार/संगोष्ठी में प्रस्तुतिकरण, पर्यवेक्षक द्वारा आगे शोध में काम आने वाली तकनीकों तथा साधनों का परीक्षण इत्यादि होंगें। पर्यवेक्षक शोधार्थी के कोर्सवर्क में भाग लेने के छः माह पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध फोर्मेट में दिये गये कॉलम में उक्त अंकों को भरकर विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे।

4. शेष 60% जिसमें रिसर्च मेथडोलोजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, रिसर्च एथिक्स, क्वांटिटेटिव मैथड़ आदि परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर दौरान (कोर्सवर्क के पार्ट 2 पूरा होने के बाद) लिया जायेगा जिसका Syllabus वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय में उक्त हेतु कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक शोधार्थी का उपस्थित होना अनिवार्य (75% उपस्थिति) होगा।

5. यदि कोई शोधार्थी कोर्सवर्क परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है तो वह आगामी कोर्सवर्क परीक्षा में भाग ले सकता है। अगर शोधार्थी दो प्रयास में कोर्सवर्क परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसका पीएच.डी में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त स्थिति में परीक्षा में अनुपस्थित होना एक प्रयास माना जायेगा।

6. कोर्सवर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात् शोधार्थी, शोध पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रारूप में शोध रूपरेखा तैयार करेगें तथा मय संलग्नकों के एवं निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित समय में विश्वविद्यालय में जमा करायेगें ताकि समय पर SRC/DRC बैठक का आयोजन कराकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

7. SRC/DRC बैठक में शोध पर्यवेक्षक (Supervisor) की उपस्थिति में विषय विशेषज्ञों के समक्ष शोध रुपरेखा का PPT प्रस्तुतिकरण होगा जिसके बाद उनको उनके शोध प्रस्ताव/शोध रूपरेखा का शीर्षक स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधन से सम्बंधित जानकारी दे दी जायेगी। SRC/DRC में शोध पर्यवेक्षक की उपस्थिति आवश्यक है।

8. जिन शोधार्थियों के शोध प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेंगे उनका स्थाई पंजीयन कर उनको Final Registration Letter जारी कर दिया जायेगा तथा वे अपना शोध कार्य निरंतर जारी रखेंगे। जिन शोधार्थियों की शोध रुपरेखा SRC/DRC द्वारा संशोधित होती है तो शोधार्थियों द्वारा शोध पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में शोध रुपरेखा में सुझाये गये संशोधन करते हुए शोध रूपरेखा पुनः तैयार कर संशोधित शोध रुपरेखा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी तथा सक्षम स्तर से शोध रुपरेखा स्वीकृत हाने के उपरान्त उनका स्थाई पंजीयन कर Final Registration Letter जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। जिन शोधार्थियों की शोध रुपरेखा अस्वीकृत हो जायेगी उनका स्थाई पंजीयन जारी नहीं किया जा सकेगा तथा वे शोध कार्य को जारी नहीं रख सकेंगे। उनको पुनः नये सिरे से शोध रुपरेखा की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी।

9. शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई गाइडलाइन एवं यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/रेगुलेशन्स का पालन करते हुए पूर्ण नैतिकता एवं मौलिकता बनाये रख कर शोध कार्य करना है तथा प्रत्येक सेमेस्टर (छः माह) के बाद शोध केन्द्र के माध्यम से शोध पर्यवेक्षक के द्वारा प्रमाणित करवाकर विश्वविद्यालय में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए शोध केन्द्र अपने स्तर पर एक शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) का गठन करेगा। यह समिति यू.जी.सी. के रेगुलेशन के अनुसार कार्य करेगी।

10. किसी भी स्तर पर शोधार्थियों द्वारा लापरवाही पाई जाती है अथवा उनके द्वारा शोध प्रगति प्रतिवेदन समय पर नहीं दिया जाता है अथवा शोध केन्द्र पर अनुपस्थिति पाई जाती है, तो ऐसे शोधार्थियों का तुरन्त प्रभाव से पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

11. भाषा सम्बंधी विषय हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के साथ ग्रन्थ उसी भाषा में टंकित किये हुये जमा करवाये जायेंगे। अतः शोधार्थी भाषा पर आधारित शोध कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें।

12. राजभवन की गाइड लाइन एवं यू.जी.सी. रेगुलेशन 2016 के अनुसरण में प्रत्येक सेमेस्टर (प्रति छः माह बाद) के पश्चात् शोध केन्द्र के स्तर पर इस हेतु शोध केन्द्र पर गठित शोध सलाहकार समिति द्वारा आवधिक समीक्षा करने के उपरान्त ही शोधार्थी का अगले सेमेस्टर के लिए क्रमोन्यन (Promoted to next semester) किया जा सकेगा। एवं शोध केन्द्र द्वारा इसकी सूचना शोध निदेशालय को देनी होगी।